न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 67/2022 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2022/86

01. साधु सिंह पुत्र भोला सिंह जाति कम्बोज सिख साकिन पदमपुर तहसील पदमपुर।

02. नसीब कौर पुत्री भोला सिंह पत्नि करतार सिंह जाति कम्बोज सिख साकिन पदमपुर हाल आबाद वार्ड नं. 13 खाजूवाला तहसील खाजूवाला।

03. अमर कौर पुत्री भोला सिंह पत्नी ज्ञान सिंह जाति कम्बोज सिख साकिन पदमपुर हाल मकान नं. 2 गांव खुरमपुर तहसील शाहकोट जिला जालन्धर।

दोनों जरिये मुखत्यारआम भाई साधु सिंह पुत्र भोला सिह जाति कम्बोज सिख साकिन पदमपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

01. कुलविन्द्र कौर पत्नि देवेन्द्रपाल सिंह जट सिख साकिन चक 1 डी.डी तहसील पदमपुर।

02. मनराज सिंह
03. जसपाल सिंह
04. रिछपाल सिह

पिसरान धन्ना सिंह जाति जट सिख गांव चक 1 डी.डी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।

05. तेजवन्त कौर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जट सिख साकिन चक 1 डी.डी तहसील पदमपुर (नाम डिलीट आदेश दिनांक 14.07.2025)

06. देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जट सिख साकिन चक 1 डी.डी तहसील पदमपुर।

07. ग्राम पंचायत चक 20 बी.बी. तहसील पदमपुर जरिये सरपंच।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स संख्या 1,2,4,6

निर्णय

दिनांक 06.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 14.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह को चक 24 बी.बी के मुरब्बा नंबर 10 की 23 बीघा दिनांक 08.12.1961 को पुख्ता आवंटित हुई। अपीलांट के पिता भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह द्वारा उक्त वादगत भूमि का बेचान बिना खातेदारी के कर दिया गया। मूल आवंटी भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह की मृत्यु दिनांक 21.02.1968 को हो गई थी। उक्त वादगत रकबे की सनद् क्रमांक 6422 दिनांक 17.09.1976 को जारी हुई। ग्राम पंचायत 20 बी.बी द्वारा जारी इंतकाल आदेश दिनांक 20.01.1980 द्वारा इंतकाल दर्ज किया गया। उक्त वादगत भूमि का बेचान बिना खातेदारी सनद् प्राप्त किए किया गया। उपरोक्त रकबा पहले महेन्द्र सिंह व तेजा सिंह वगैरह द्वारा खरीदा गया था जिन्होंने उपरोक्त रकबा बेचान आगे कर दिया। अपीलांट ने ग्राम पंचायत 20 बी.बी द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 93 दिनांक 20.01.1980 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.03.2022 द्वारा अपीलांट की अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के उक्त आदेश दिनांक 14.03. 2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के आदेश दिनांक 14.03.2025 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता भोला सिंह पुत्र नत्था सिंह को चक 24 बी.बी की 23 बीघा दिनांक 08.12.1961 को पुख्ता आवंटित हुई। जिसका बेचान भोला सिंह द्वारा दिनांक 19.02.1968 को बिना मंजूरी, बिना सनद जारी करवाये, बिना खोतदारी लिए खरीददार के पक्ष में कर दिया जिसके बाबत खरीददार द्वारा इंतकाल करवाने की कोशिश की गई तो पटवारी द्वारा मिलीभगत करके इंतकाल दर्ज पेश किया गया, जिस पर गिरदावर द्वारा नोट लगाकर कि सनद् मिलने से पहले ही रकबा बिना मजूरी बेचान हुआ है। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जे की रिपोर्ट ली जानी जरूरी थी जो कि नही ली गई। मौका पर कब्जा भोलासिंह के वारिसान का था और जब सनद जारी किया गया तब मौका रिपोर्ट ली गई तब भोला सिंह के वारिसान के कब्जा काश्त संबंधी रिपोर्ट आई थी फिर इंतकाल दूसरे आदमी के नाम कैसे कर दिया गया। उक्त रकबा की सनद् क्रमांक 6422 दिनांक 17.09.1976 को जारी हुई और सनद् जारी होने से पूर्व यानि खातेदारी लेने से पूर्व रकबे को बेचान गैर कानूनी था और उक्त बेचान के आधार पर इंतकाल नही किया जा सकता था। इंतकाल दर्ज किए जाने से पूर्व 21.02.1968 को भोला सिंह की मृत्यु हो चुकी थी तो मरे हुए आदमी के नाम इंतकाल कैसे तस्दीक हो सकता हैं। उक्त हस्तान्तरण अवैध हैं सैक्शन 39 टिनेन्सी एक्ट का उल्लघंन हुआ था, कस्टोडियन विभाग की भूमि परिवार के आधार पर आवंटित हुई थी। बेचवानकर्ता को नही सुना गया। मृतक के नाम से इंतकाल दर्ज हुआ था व सनद् जारी हुई थी। अवैध दस्तावेज के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया था ऐसे आदेश पर मियाद लागू नही होती। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील में मात्र मियाद के बिन्दू पर निर्णय पारित किया है तथ्यों पर कोई विवेचन ही नही किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेज श्रीगंगानगर के प्रकरण

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 02/2018 अनवानी साधु सिंह बनाम कुलविन्द्र कौर में निर्णय करते हुए उक्त वादगत भूमि राज्य पक्ष में अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्रदान कर दिए। उक्त वादगत भूमि रकबाराज जो चुकी है। उक्त वादगत भूमि के सारे बेचान रजिस्ट्रीयां निरस्त हो चुकी है। अब इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है।

उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जसपाल पुत्र धन्ना सिंह जरिये अभिभाषक श्री मदन सुरोलिया ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.06.2025 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया हैं। इसके संबंध अपील अपीलांट का जवाब कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जसपाल का उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे क्योंकि प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतकर्ता के नाम से विवादित भूमि खारिज हो चुकी हैं बैयनामा खारिज हो चुका है। उनकी खातेदारी भूमि को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 23.06.2025 को आराजीराज दर्ज कर दिया गया हैं। भूमि रकबा राज है इस कारण जसपाल सिंह को प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार अब प्राप्त नही है। अब प्रार्थी के नाम कोई भूमि नही है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार ही नही रहा है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज की जावें। रेस्पोडेन्ट को अपील में समन तामिल हो चुके थे एवं लापरवाही करे अनुपस्थित रहें थें। मियाद बाहर प्रार्थना–पत्र पेश किया है, प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपील संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया।

1. आर.आर.डी 2005 पेज संख्या 42
2. आर.आर.डी 1993 पेज संख्या 502
3 आर.आर.डी 1996 पेज संख्या 200
4 आर.आर.डी 1981 पेज संख्या 292
5 आर.आर.डी 1986 पेज संख्या 07
6 आर.आर.डी 1991 पेज संख्या 493
7 आर.आर.डी 1999 पेज संख्या 309
8 आर.आर.डी 1998 पेज संख्या 319
9 आर.आर.डी 1995 पेज संख्या 751
10 आर.आर.डी 1995 पेज संख्या 746
11 आर.आर.डी 1994 पेज संख्या 165
12 आर.आर.डी 2011 पेज संख्या 114

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4,6 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि का बैयनामा जो अपीलार्थी के पिता श्री भोलासिंह द्वारा 20.02.1968 को को पंजीयन कराये गये उपरोंक्त दोनों बैयनामों में अपीलार्थी साधुसिंह अनुप्रमाणित साक्षी है इसलिए उक्त बैयनामों की जानकारी लिखे जाने की तिथि दिनांक 19.02.1968 से ही अपीलार्थी साधुसिंह को है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराने के अनुतोष की मियाद अवधि मात्र 3 वर्ष हैं। उक्त अपील बैयनामा लिखने की तिथि से 50 वर्ष की अवधि के पश्चात पेश की गई है, जो पूर्णतया कानून के विपरित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त बैयनामें के तथ्य को छुपाकर न्यायालय में अपील पेश की है अपीलार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों नही आया है। क्रय से लेकर आज तक अपीलाधीन भूमि पर रेस्पोडेन्ट पक्ष का कब्जा काश्त चली आ रही है। बेचान करने की तिथि से 50 वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त अपील साजिशाना रूप से पेश की गई हैं। वादगत भूमि की

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सनद, इंतकाल की तिथि दिनांक 20.01.1980 से पूर्व जारी थी और ग्राम पंचायत द्वारा भूमि के खातेदारी हकूक के आधार पर एवं रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर तथा खरीददारान यानि रेस्पोडेन्ट पक्ष का भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर ही इंतकाल दर्ज किया गया है। अपीलांट पक्ष वादगत भूमि की तमाम कीमत राशि प्राप्त कर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर भूमि का कब्ज दिनांक 20.02.1968 को रेस्पोडेन्ट पक्ष को दे चुके हैं। भूमि बेचान के पश्चात अपीलार्थी पक्ष का अपीलाधीन भूमि में कोई हक या स्वत्व ही नही रहा है। अपीलार्थीगण को कोई लोक्स स्टेण्डाई हासिल नही है। अपीलाधीन भूमि को क्रेता श्री महेन्द्रसिंह व तेजसिंह द्वारा आगे बेचान करने का कथन किया है जबकि इनके द्वारा भूमि का कोई बेचान नही किया गया है। भोलासिंह की मृत्यु होने के पश्चात कोई रिफण्ड बिल बनने एवं उक्त बिल फर्जी हस्ताक्षरों से उठाने का तथ्य भी गलत दर्ज किया है। उक्त वादगत भूमि का दिनांक 19.02.1968 को बेचान हुआ है तथा उक्त बैयनामा दिनांक 20.02.1968 को पंजीयन हुआ है तथा उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा में अपीलार्थी साधुसिह अनुप्रमाणित साक्षी है तथा शेष अपीलार्थीगण को उक्त भूमि विक्रय करने का दिनांक 20.02.1968 से ही ज्ञान है। स्वयं साधु सिंह के बतौर गवाह बैयनामा हस्ताक्षर है। उक्त अपील बैयनामा होने से 50 वर्ष पश्चात व इंतकाल होने के 37 वर्ष पश्चात पेश की है। उक्त देरी का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नही है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से बाहर हैं। माननीय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के यहां सीगा धारा 13ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रकरण संख्या 02/2018 अनवानी साधुसिंह बनाम कुलविन्द्र कौर चल रहा था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित कर दिया, किन्तु गंगानगर के वकील ने न तो उक्त प्रकरण में बहस के बारे में बताया, न बुलाया न फैसले का बताया। उक्त फैसले का 3 दिन पूर्व पता चला, तब से अपील की कार्यवाही जारी है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4– प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जसपाल पुत्र धन्ना सिंह जरिये अभिभाषक श्री मदन सुरोलिया ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 संपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनवानी प्रकरण में प्रार्थी साधुसिंह के रिश्तेदार से दिनांक 07.08.2025 को पता लगा कि उक्त अपील जैरकार है। उक्त मुकदमें में प्रार्थी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ, तहकीकात करने पर पता लगा कि प्ररकण में दिनांक 09.06.2025 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई है जबकि न तो रजिस्टर्ड भेजे गये न कोई ट्रेक रिपोर्ट ही रिकॉर्ड पर है तथा ना ही कोई ए.डी ही रिकॉर्ड पर हैं। प्रार्थी को उक्त नोटिस प्राप्त नही हुआ। प्रार्थी के नाम वादग्रस्त जमीन का इंतकाल दर्जशुदा है। अधिनस्थ न्यायालय में भी प्रार्थी उपस्थित रहा है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी पर विधिवत तामिल नही होने से प्रार्थी को उकत प्रकरण का ज्ञान नही हो पाया। वास्तव में प्रार्थी का निवास का पता जे–15, खालसा नगर श्रीगंगानगर है जिस पर प्रार्थी रिहायश करता है, तथा जिस पते पर तामिल गई है वह मात्र वादग्रस्त जायदाद का पता हैं जिस पर वह रिहायश नहीं करता है। उक्त वादगत भूमि पर प्रार्थी काफी वर्षो से काबिज है। जिससे प्रार्थी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की सुनवाई न करने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.06.2025 को अपास्त किया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को जवाबदावा व जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

5– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपने निर्णय दिनांक 23.06.2025 द्वारा उक्त वादगत भूमि को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए(1ए) के तहत नियमन योग्य नही मानते हुए उक्त वादगत भूमि को राज्य पक्ष में अधिग्रहण किए जाने के आदेश प्रदान किये। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपने निर्णय दिनांक 23.06.2025 द्वारा उक्त वादगत भूमि को राज्य पक्ष में अधिग्रहण के आदेश जारी करने के पश्चात अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट का हित शून्य हो जाने के कारण अपील सारहीन (Infructuous) हो जाती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन (Infructuous) हो जाने पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर